

जिला खनन कार्यालय, शिवहर

पत्रांक..... / एम0, दिनांक.....

सेवा में,

M/s Ahluwalia Contracts India Ltd.
Authorized Signatory
Shri Ashutosh Jha
Flat No.- 301, Ram Niketan Apartment,
Sahdeo Path, West Patel Nagar,
LBS Nagar, Patna, Bihar- 800023

विषय:- खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि शिवहर जिलान्तर्गत पुरनहिया अंचल के मौजा- अदौरी थाना संख्या- 89 खाता संख्या- 271 एवं 1024 खेसरा संख्या- 4279 एवं 4494 रकबा- 0.80 हेक्टेयर में तप्तु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 4156/एम0, दिनांक 27.12.2016 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है।

1. खनन योजना का अनुमोदन 13,320 घन मी0 एक वर्ष तक साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है।
2. खनन कार्य से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
3. खनन कार्य से पूर्व संबंधित जिला खनन कार्यालय में रॉयल्टी जमा कर खनन की अनुमति लेना अनिवार्य है।
4. खनन कार्य हेतु सम्बंधित विभागों/संस्थाओं से अनापत्ति पत्र आवश्यक होगा।
5. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 2 मीटर से अधिक नहीं होगा।
6. खनन कार्य ग्राउण्ड वाटर लेवल से कम से कम 2 मीटर उपर तक ही सीमित रखा जाएगा।
7. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी।
8. ईंट निर्माण, पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रायोजनार्थ ईंट मिट्टी और साधारण मिट्टी के खनन/ उत्खनन से संबंधित क्रिया-कलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा।
9. खनन/ उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा।
10. खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा।
11. खोदे गए/ उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।
12. दुलाई के दौरान खोदी गई/ उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।

Jh

13. मिट्टी के खनन/ उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोग वाहकों (वैक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे।
14. कामगारों/ मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
15. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी आर्सेनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
16. राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में ईट मिट्टी अथवा साधारण मिट्टी के खनन/ उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
17. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बना कर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 2 मी० एवं चौड़ाई कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए।
18. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उरी क्षेत्र में फैला दिया जाएगा।
19. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामित्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पूर्ति करा लिया जाना अपेक्षित होगा।
20. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में पायी जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।

— 50 —
खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
शिवहर।

ज्ञापांक 243/एम०, दिनांक 18/3/20

प्रतिलिपि:— M/S PRANEJA ENVIROCARE & MANAGEMENT PVT. LTD., ASHIYANA,
KHAJPURA, PATNA-800014 को सूचनार्थ प्रेषित।

18/3/20
खनिज विकास पदाधिकारी,
जिला खनन कार्यालय,
शिवहर।